(Authoritative English text of this Department Notification No. AHY-A(3)08/2010 dated_________as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY

No. AHY- A(3)08/2010 Dated Shimla-2 the 5th Sept., 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chief Veterinary Pharmacist, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh, as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement:	1.	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Chief Veterinary Pharmacist, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2019.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal & savings	2.	(1)	The Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Chief Veterinary Pharmacist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department Notification No.AHY-A(3)08/2010 dated 19.08.2010 are hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By Order

(Sanjay Gupta, IAS)
Addl. Chief Secretary (AH) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. AHY-A(3)08/2010 dated Shimla-2, the 5th Sept., 2019

Copy forwarded to the following:-

1. Administrative Secretaries (Personnel/Finance/Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
3. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The Controller, Printing & Stationary Department, HP Shimla-5 for publication in the Government Gazette.
5. The Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh Shimla-5 alongwith 5 copies of R&P Rules.
6. Guard File/50 spare copies.

(Jagtamba Devi)
Under Secretary (AH) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177 2880838

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHIEF VETERINARY PHARMACIST, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of Post	Chief Veterinary Pharmacist
2.	Number of Post(s)	58 (Fifty Eight)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay	Pay Band ₹ 10300-34800+ ₹ 4200/- Grade Pay.
5.	Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post;	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment	Not applicable
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):	(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s):Not applicable
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s)	Age: Not applicable. Educational Qualification:- Not applicable
9.	Period of Probation, if any:	Not applicable
10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method:	100% by placement

11.	In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade from which promotion/ secondment/transfer is to be made:	By placement (on the basis of seniority subject to rejection of unfit) from amongst the Animal Husbandry Assistants who possess 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade: (1) Provided that for the purpose of placement every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting/transfer in remote/rulal area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion: Provided further that Officers/ Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/ rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. **Explanation-I:-** For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience. **Explanation-II:-** For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba district. 3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapath, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangra Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Pathar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:- For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

1. All Stations beyond the radius of 20 Kms. from sub Division/ Tehsil headquarter.

2. All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

3. Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of placement, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for placement subject to the conditions that the adhoc appointment /placement in the feeder category has been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided further that all incumbents to be considered for placement shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for placement on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such placement.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for placement if the senior ineligible person happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all the cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered on feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if any adhoc appointment/ placement had been made after proper selection in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12.	If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Government from time to time.

13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Not applicable.
16	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination:	Not applicable.
18	Power to Relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

*****

हिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभाग

संख्या: एएचवाई-ए(3)8/2010 तारीख शिमला-2 5 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में मुख्य पशु औषधियोजक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, मुख्य पशु औषधियोजक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
	(2) यह नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां	2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या:एएचवाई-ए(3)8/2010 तारीख 19-08-2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग, मुख्य पशु औषधियोजक वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गयी समझी जायेगी।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि तारीख शिमला-2 5 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रशासनिक सचिव (कार्मिक/विधि विभाग/वित्त विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को तीन प्रतियों सहित।
3. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
4 नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. निदेशक, पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को 5 प्रतियों सहित।
6. गार्ड फाइल/50 अतिरिक्त प्रतियाँ।

(**जगतम्बा देवी**)
अवर सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग में मुख्य पशु औषधियोजक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम :	मुख्य पशु औषधियोजक
2.	पदों की संख्या :	58 (अठावन)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान :	पे बैंड ₹ 10300-34800/-जमा ₹ 4200/-ग्रेड पे
5.	“चयन” पद अथवा अचयन पद :	अचयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य अहर्ता (ए): लागू नहीं। (ख) वांछनीय अहर्ताएं: लागू नहीं।
8.	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अहर्ताएं : लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो:	लागू नहीं।
10.	भर्ती कि पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वालें पद (पदों) की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत स्थानन द्वारा।
11.	प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट स्थानान्तरण किया जाएगा :	पशु पालन सहायकों में से (अनुपयुक्तता के प्रतिक्षेपण के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर) स्थानन द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, या ग्रेड में की गयी लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, का सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

(I) परन्तु स्थानन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाए उपर्युक्त परंतुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पाँच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारीयों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I : उपर्युक्त परंतुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ कठिन/ दुर्गम क्षेत्रों/ दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष कि अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II : उपर्युक्त परंतुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम / दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चंबा जिला का पांगी और भरमौर उप-मंडल।
3. रोहड़ू उप-मंडल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पंद्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पंद्रह बीस परगना।
6. काँगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मंडल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मंडी जिला में करसोग तहसील का खान्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगड और खोलानाल पटवार वृत्त पधर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ़, ट्रईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुंदरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III: उपर्युक्त परंतुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

(I) उप मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर कि परिधि से परे के समस्त स्थान।

(II) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर कि परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(III) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाये बिना, अपने गृहनगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) स्थानन के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गयी लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन स्थानन के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/स्थानन भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गयी थी;

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गयी सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर स्थानन के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परंतुक कि अपेक्षाओं के कारण स्थानन किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे स्थानन के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण:- अंतिम परंतुक के अंतर्गत कनिष्ठ पदधारी स्थानन के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल अवधि के दौरान सशस्त्र बल में शामिल हुए है और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज पेरसोनल (रिजर्वेशन ऑफ़ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टेक्निकल सर्विसीज) रूल्स, 1972 के नियम-3 के उपबंधों के अंतर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन इनके अंतर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ़ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसीज) रूल्स, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गये हों।

(ii) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/स्थानन से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर कि गयी लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/स्थानन उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी थी:

परन्तु की गयी उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16. आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए सेवा में आरक्षण कि बाबत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं।
18. शिथिल करने कि शक्ति :	जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) कि बाबत, शिथिल कर सकेगी।

*****